न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 137/2017

तारीख रजू:—19.12.2017

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. महावीरा
2. कलुवाराम
3. शिवराम

पिसरान चम्पाराम, जाति—मीना निवासी श्यामपुर मुंडरी, तह० हिण्डौन जिला—करौली, राजस्थान ———————— सायलान

बनाम

1. रामसहाय
2. हरभजन
3. लोहडे

पिसरान किशोरी

4. मन्टू
5. जल्ला

पिसरान जयनारायण

6. गोरधन
7. सिरमोहर
8. श्रीराम

पिसरान मूलचन्द

जाति सभी मीनागण, निवासी श्यामपुर मुंडरी, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला—करौली, राजस्थान। ——— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान

2. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :— 02.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नं0 1 में दर्ज किया है कि साय़लान ने इस सम्मानीय अदालत में गैरसायलान के विरुद्ध उक्त उनवान का दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर दिया है। जिसमें साय़लान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 712 रकबा 0.27 है0, 788 रकबा 0.07 है0, 790 रकबा 0.08 है0, 794 रकबा 0.08 है0, 802 रकबा 0.08 है0, 834 रकबा 0.12 है0, 869 रकबा 0.20 है0, 873 रकबा 0.06 है0, 893 रकबा 0.15 है0, 897 रकबा 0.23 है0, 901 रकबा 0.07 है0, 934 रकबा 0.06 है0, 942/1609 रकबा 0.08 है0, 946 रकबा 0.13 है0, 950 रकबा 0.11 है0, 951 रकबा 0.11 है0, 954 रकबा 0.14 है0, 956 रकबा 0.04 है0, 974 रकबा 0.14 है0, 987 रकबा 0.20 है0, 1219 रकबा 0.28 है0, 1330 रकबा 0.18 है0, 1343 रकबा 0.15 है0, 1404 रकबा 0.03 है0, 1430 रकबा 0.29 है0, 1442 रकबा 0.13 है0, 1443 रकबा 0.31 है0, 1462 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह, 1463 रकबा 0.31 है0, 1464 रकबा 0.23 है0, 1470 रकबा 0.19 है0, 1488 रकबा 0.24 है0, 1571 रकबा 0.42 है0 कुल किता 33 कुल रकबा 5.19 है0 स्थित ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन सायलान बहिस्सा 1/2 व खातेदार मुरारी व राजीव बहिस्सा 1/2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1571 रकबा 42 एयर स्थित ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन बाहमी बंटवारे में आपसी सहमति के आधार पर सायलान के हिस्से में आया है। जिस पर सायलान बहिस्सा बराबर मौके पर बतौर मालिक काबिज एवं दखील हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 02.11.2017 को सायलान उक्त खेत को आगामी फसल बाबत तैयार कर रहे थे, तो गैरसायलान एक राय होकर आये एवम् कहने लगे कि इन खेतों को तुम काश्त मत करो। क्योंकि इन खेतों पर हमने अन्य खातेदारान से खरीद कर लिया है। जिस पर सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया, कि ख0 न0 1571 में हमारी 1/2 हिस्सेदारी है। एवं बाहमी बंटबारे में यह खेत हमारे

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिस्से में आया है। कोई अन्य खातेदार इसे कैसे बेचान कर सकता है। लेकिन गैरसायलान किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। एवं सायलान के खेत ख0नं0 1571 पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबों में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना भी संभव नहीं हो सकेगी, जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि सायलान का प्राइमाफेसी केस भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि इस तरह सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैंसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी ख०नं० 1571 रकबा 42 एयर स्थित ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन पर वे कब्जा नहीं करें तथा सायलान को बेदखल नहीं करें तथा कोई निर्माण कार्य नहीं करें। ऐसा कार्य ना तो स्वंय करें और ना किसी अन्य से करावें, जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 26.09.2019 को गैरसायलान की ओर से श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। गैरसायलान की ओर से उनके अधिवक्ता ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नंबर 1 गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादी ने गलत तथ्य दर्ज कर दावा व दर0 पेश किये है जिसमें सायल को किसी भी प्रकार कोई सफलता मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि मद नंबर 2 में दर्ज आराजीयात वाके ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है। जिसमें 1/2 हिस्से के वादी सायल एवं 1/2 हिस्से के मुरारी, राजीव पिसरान नथुआ खातेदार काश्तकार हैं, जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि दर0 का मद नंबर 3 गलत होने के कारण अस्वीकार है। आराजी खसरा नंबर 1571 रकबा 42 एयर स्थित ग्राम श्यामपुर मूंडरी, तहसील हिण्डौन बाहमी बंटवारे में सायलान के हिस्से में नहीं आई, बल्कि उक्त भूमि उसके सह–खातेदारान मुरारी, राजीव के हिस्से में आई थी तथा उन्होंने उक्त भूमि करीब 34 साल पूर्व प्रतिवादी गैरसायल रामसहाय, गोरधन, मन्टू को विक्रय कर दी तथा उन्होंने गैरसायलान के हक में दिनांक 13.07.2018 को एक इकरारनामा तहरीर व तामील कराकर नोटरी से तस्दीक करा दिया। गैरसायलान का ख०नं० 1571 पर करीब 34 साल से निरन्तर कब्जा काश्त है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि दर0 का मद नंबर 4 गलत होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 02.11.2017 को सायलान व गैरसायलान के मध्य किसी प्रकार की कोई कहा–सुनी नहीं हुई। उक्त भूमि करीब 34 साल से गैरसायलान के निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही है। वर्तमान में गैरसायलान की बोई हुई फसल सरसब्ज हालत में खड़ी हुई है। दावा एवं दर0 कब्जा के अभाव में काबिले खारिज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि दर0 का मद नंबर 5 गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त भूमि ख०नं० 1571 गत 34 साल से निरन्तर गैरसायलान के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में गैरसायलान की बोई हुई फसल सरसब्ज खडी हुई है। सायलान का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है और ना ही कब्जा है। इसलिए वादीगण/सायलान को किसी प्रकार की कोई क्षति होने का सवाल ही नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि सायलान का प्राइमा फेसी केस बिल्कुल साबित नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि दर0 का मद नंबर 7 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सुविधा का संतुलन गैरसायलान के हक में है, सायलान के हक में नहीं है।

अतः जवाब दर0 पेश कर निवेदन किया है कि दर0 मय खर्चा के खारिज फरमाई जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति इकरानामा 100/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एवं सादा पेपर नग 2 कुल किता 3 पर उनवानी मुरारीलाल, राजीव बहक रामसहाय वगैराह दिनांक 13.07. 20218 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 712 रकबा 0.27 है0, 788 रकबा 0.07 है0, 790 रकबा 0.08 है0, 794 रकबा 0.08 है0, 802 रकबा 0.08 है0, 834 रकबा 0.12 है0, 869 रकबा 0.20 है0, 873 रकबा 0.06 है0, 893 रकबा 0.15 है0, 897 रकबा 0.23 है0, 901 रकबा 0.07 है0, 934 रकबा 0.06 है0, 942/1609 रकबा 0.08 है0, 946 रकबा 0.13 है0, 950 रकबा 0.11 है0, 951 रकबा 0.11 है0, 954 रकबा 0.14 है0, 956 रकबा 0.04 है0, 974

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 0.14 है0, 987 रकबा 0.20 है0, 1219 रकबा 0.28 है0, 1330 रकबा 0.18 है0, 1343 रकबा 0.15 है0, 1404 रकबा 0.03 है0, 1430 रकबा 0.29 है0, 1442 रकबा 0.13 है0, 1443 रकबा 0.31 है0, 1462 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह, 1463 रकबा 0.31 है0, 1464 रकबा 0.23 है0, 1470 रकबा 0.19 है0, 1488 रकबा 0.24 है0, 1571 रकबा 0.42 है0 कुल किता 33 कुल रकबा 5.19 है0 वाके ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन की खातेदारी महावीरया कलुवाराम शिवराम पि0 चम्पाराम हि0ब0हि0 1/2 विला रहन, मुरारीलाल राजीव पि0 नथुवा हि0ब0 हि0 1/2 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा महू इब्राहिमपुर (खसरा नम्बर 1571 को छोडकर) जाति मीना ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति इकरानामा 100/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एवं सादा पेपर नग 2 कुल किता 3 पर उनवानी मुरारीलाल, राजीव बहक रामसहाय वगैराह दिनांक 13.07.20218 के अनुसार मुरारीलाल, राजीव पिसरान नथुआ जाति मीना निवासी श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन –प्रथमपक्षगण के द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन का रामसहाय पुत्र घमण्डी, गोरधन पुत्र फूलचन्द, मंटू पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन –द्वितीय पक्षगण के हक में करीब 30 साल पूर्व बेचान किया जाना एवं तभी से द्वितीयपक्ष उक्त भूमि को उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी में सायलान रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा उक्त विवादित आराजीयात विवादित आराजी खसरा नम्बर 712 रकबा 0.27 है0, 788 रकबा 0. 07 है0, 790 रकबा 0.08 है0, 794 रकबा 0.08 है0, 802 रकबा 0.08 है0, 834 रकबा 0.12 है0, 869 रकबा 0.20 है0, 873 रकबा 0.06 है0, 893 रकबा 0. 15 है0, 897 रकबा 0.23 है0, 901 रकबा 0.07 है0, 934 रकबा 0.06 है0, 942/1609 रकबा 0.08 है0, 946 रकबा 0.13 है0, 950 रकबा 0.11 है0, 951 रकबा 0.11 है0, 954 रकबा 0.14 है0, 956 रकबा 0.04 है0, 974 रकबा 0.14 है0,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

987 रकबा 0.20 है0, 1219 रकबा 0.28 है0, 1330 रकबा 0.18 है0, 1343 रकबा 0.15 है0, 1404 रकबा 0.03 है0, 1430 रकबा 0.29 है0, 1442 रकबा 0.13 है0, 1443 रकबा 0.31 है0, 1462 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह, 1463 रकबा 0.31 है0, 1464 रकबा 0.23 है0, 1470 रकबा 0.19 है0, 1488 रकबा 0.24 है0, 1571 रकबा 0.42 है0 कुल किता 33 कुल रकबा 5.19 है0 वाके ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन सायलान महावीरया कलुवाराम शिवराम पि0 चम्पाराम हि0ब0हि0 1/2 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा 1/2 हिस्से के मुरारीलाल राजीव पि0 नथुवा जाति मीना सा0देह खातेदार काश्तकार हैं जिन्होंने उक्त आराजी सम्पूर्ण में से अपने सम्पूर्ण हि0 1/2 भाग की भूमि को बैंक ऑफ बडौदा शाखा महू इब्राहिमपुर में खसरा नम्बर 1571 को छोडकर रहन रखा हुआ है। गैरसायलान के द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति इकरारनामा के अनुसार मुरारीलाल, राजीव पिसरान नथुआ जाति मीना निवासी श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन ने खसरा नम्बर 1571 को रामसहाय पुत्र घमण्डी, गोरधन पुत्र फूलचन्द, मंटू पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन के हक में बेचान 30 वर्ष पूर्व किये जाने का दिनांक 13.07.2018 को लिखा गया है। जबकि विक्रेता मुरारीलाल, राजीव पिसरान नथुआ जाति मीना निवासी श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन उक्त भूमि में मात्र 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे सम्पूर्ण खसरा नम्बर का बेचान नियम विरूद्ध है। जो बेचान किया गया है वह अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। जिसके आधार पर गैरसायलान को कोई कानूनी अधिकार उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1571 के बाबत् प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सायलान का विवादित आराजी खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन में हि0 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार है। मुताविक राजस्व रिकार्ड गैरसायलान का उक्त विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित होता है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे इसलिए गैरसायलान को उक्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

विवादित आराजी खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन में सायलान के हिस्से तक कब्जा काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन में सायलान के हिस्से तक सायलान के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें और नाही किसी अन्य से करावें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 2/12/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली